न्यायालय : सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 151/2019

अनवान :

1. मोहरसिंह पुत्र धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र राजेराम जाति कुम्हार निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. रूलीराम पुत्र धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. अमरपति पुत्री धर्मपाल पत्नि गांगेराम जाति कुम्हार निवासी भाडी हाल सादपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
4. मीरां पुत्री धर्मपाल पत्नि निहालसिंह जाति कुम्हार निवासी भाडी हाल सादपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
5. भारती पुत्री धर्मपाल पत्नि मनमोहन जाति कुम्हार निवासी भाडी हाल दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मदनलाल कड़वासरा : वादी

दिनांक : 11-3-2020

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मालकस के खाता सं0 59/56 के खसरा सं0 72/3 की 7.8020 है0 बारानी खसरा सं0 145 की 0.8350 है0 कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 8.6370 है0 बारानी व ग्राम भाडी के खाता सं0 93/192 के खसरा स0 164/1 की 9.0830 है0 बारानी, खसरा सं0 613 की 1.1260 है0 बारानी कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 10.2090 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल पुत्र राजेराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद भूमि धर्मपाल को अपने पिता राजेराम से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा बहिस्सा बराबर निहित है। प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपने विवाह के समय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर अपना अपना हक त्याग कर दिया था तथा अपना हक व हिस्सा शुन्य कर लिया था।

वाद पेश होने पर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उप[illegible] वा[illegible] प्रतिवादीगण सं0 1 ता [illegible] आपसी सहमति से राजीनामा [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:10 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादी मोहरसिंह के बयान क[illegible] गये। दस्तावेजी साक्ष्य सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम मालकस खाता सं0 59/56 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं0 93/192 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग ग्राम मालकस प्रदर्श 3, फोटो प्रति

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

प्रमाणित जमावन्दी भू प्रबन्ध विभाग ग्राम भाडी सम्वत् 2019 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

वहस वकील वादी सुनी गई दौराने वहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि धर्मपाल को अपने पिता राजेराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वाद भूमि दादालाई पेतृक कृषि भूमि है। इस प्रकार मुताविक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की वहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम मालकस व भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि धर्मपाल को अपने पिता राजेराम से विरासतन प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग ग्राम मालकस प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमावन्दी भू प्रबन्ध विभाग ग्राम भाडी सम्वत् 2019 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा राजेराम व परदादा गोपाल वल्द गोरखा के नाम दर्ज है इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन प्राप्त होना व वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 नें राजीनामा में अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग देना स्वीकार किया है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में धर्मपाल के वारिसान में पत्नी कमला, दो पुत्र रूलीराम व मोहरसिह एवं तीन पुत्रियां अमरपति, मीरा व भारती होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य हैं

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मालकस के खाता सं0 59/56 के खसरा सं0 72/3 की 7.8020 है0 बारानी खसरा सं0 145 की 0.8350 है0 कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 8.6370 है0 बारानी व ग्राम भाडी के खाता सं0 93/192 के खसरा सं0 164/1 की 9.0830 है0 बारानी, खसरा सं0 613 की 1.1260 है0 बारानी कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 10.2090 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल पुत्र राजेराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11-3-..... को मेरे द्वारा लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारेठ)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 151/2019

अनवान :

1. मोहरसिंह पुत्र धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र राजेराम जाति कुम्हार निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. रूलीराम पुत्र धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. अमरपति पुत्री धर्मपाल पत्नि मांगेराम जाति कुम्हार निवासी भाडी हाल सादपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
4. मीरां पुत्री धर्मपाल पत्नि निहालसिंह जाति कुम्हार निवासी भाडी हाल सादपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
5. भारती पुत्री धर्मपाल पत्नि मनमोहन जाति कुम्हार निवासी भाडी हाल दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मदनलाल कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मालकसर के खाता सं0 59/56 के खसरा सं0 72/3 की 7.8020 है0 बारानी खसरा सं0 145 की 0.8350 है0 कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 8.6370 है0 बारानी व ग्राम भाडी के खाता सं0 93/192 के खसरा सं0 164/1 की 9.0830 है0 बारानी, खसरा सं0 613 की 1.1260 है0 बारानी कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 10.2090 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल पुत्र राजेराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल के वजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम वहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-3-20.. को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner